

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

समाहर्ता,
सुपौल एवं शिवहर।

फैक्स/
ई-मेल

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047-राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि, समुह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0107-पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, मांग सं0-40 विपत्र कोड-पी04047000500107, विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में कुल 28,00,000/- (अठ्ठाईस लाख) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-253(8)/रा0 दिनांक-21.03.2017 आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि क्रय निति 2011 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित जिलो को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 28,00,000/- (अठ्ठाईस लाख) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	अधियाचना संख्या	संबंधित शाखा द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रूपये में)	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सुपौल	शून्य	पत्रांक-38-2 दि0-30.01.2017	10,00,000/-	10,00,000/-	10,00,000/-
2	शिवहर	शून्य	पत्रांक-37 रा0 दि0-18.01.2017	18,00,000/-	18,00,000/-	18,00,000/-
कुल		00		28,00,000/-	28,00,000/-	28,00,000/-

(अठ्ठाईस लाख) रूपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 57 - (5)

/रा0, पटना-15, दिनांक- 24-03-17

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।